न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री एस.एम.शाह, आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. रतनलाल पुत्र रामूराम जाट सा. दौलतपुरा तह. नांवा
2. पोकरराम पुत्र झूंताराम जाट सा. लोरा का बास तह. नांवा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामूराम पुत्र गंगाराम जाट सा. गुलारपुरा
2. गणपतराम पुत्र रामूराम जाट सा. दौलतपुरा
3. गिरधारीलाल पुत्र रामूराम जाट सा. दौलतपुरा
4. चोखाराम पुत्र रामूराम जाट सा. दौलतपुरा
5. भंगवानराम पुत्र रामूराम जाट सा. गुलजारनगर
6. धनाराम पुत्र रामूराम जाट सा. गुलजारनगर
7. भागूराम पुत्र रामूराम जाट सा. गुलजारनगर
8. बजरंगलाल पुत्र झूताराम जाट सा. लोरा का बास
9. झूताराम पुत्र गंगाराम जाट सा. लोरा का बास
10. मैनेजर सेन्ट्रन बैंक ऑफ इण्डिया कुचामनसिटी
11. तहसीलदा नांवा
12. तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा।

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील वादीगण

श्री राजेश कुमार कुमावत वकील प्रतिवादीगण

मुकदमां नम्बर :– 96

निर्णय दिनांक :– 13.7.17

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम लोरा का बास के खसरा नम्बर 360, 361, 362, 363, 876/390 कुल रकबा 11.26 हैक्टयर तथा ग्राम गुलजारनगर के खसरा नम्बर 761, 763, 764, 765, 766, 767, 781 कुल रकबा 5.02 हैक्टयर तथा ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 44, 39, 40, 42 कुल रकबा 7.24 हैक्टयर स्थित हैं उक्त सम्पूर्ण भूमि वादीगण व प्रतिवादी 1 से 9 की खातैदारी व भाई बंटवारे की भूमि हैं जिसका 30–35 वर्षो से भौतिक रूप से बंटवारा कर अलग अलग काबिज काश्त हैं जिसके अनुसार ग्राम लोरा का बास के खसरा नम्बर 360, 361, 362, 363, 876/390 कुल रकबा 11.26 हैक्टयर में 1/3 हिस्सा वादी 2 पोकरराम का, 123 हिस्सा प्रतिवादी बजरंगलाल का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 9 झूंताराम के बंट में है। तथा गुलजारनगर के खसरा नम्बर 767 रकबा 1.63 हैक्टयर सम्पूर्ण प्रतिवादी 1 रामूराम के बंट में एवं खसरा नम्बर 781 रकबा 3.39 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 5, 6 भगवानाराम व धनाराम के बंट व हक हिस्से में तथा

13/7/17
उपखण्ड अधिकारी
नांवा

खसरा नम्बर 761 रकबा 3.24 हैक्टयर सम्पूर्ण प्रतिवादी 7 भागूराम के बंट में तथा खसरा नम्बर 763, 764, 765, 766 कुल रकबा 0.24 हैक्टयर में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 7 भागूराम का व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 5 व 6 भगवानाराम व धनाराम के बंट व हक हिस्से में हैं तथा ग्राम दौलतपुरा तहसील नांवा के खसरा नम्बर 44, 39, 40, 42 कुल रकबा 7.24 हैक्टयर में 1/4 हिस्सा वादी रतनलाल का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी गणपतराम का एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी गिरधारी एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी चौखाराम के बंट व हक हिस्से में हैं इसी माफिक मौके पर वर्षो से काबिज होकर बंटवारा कर रखा हैं लेकिन खातेदारी संयुक्त रूप से चली आ रही है। जिसका राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हो रखा है। जिससे वाद के पैरा संख्या 4 में वर्णित अनुसार बंटवारा घोषित किया जाकर अलग अलग होल्डिंग कायम किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 से 9 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया है। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तमील सुदा प्राप्त होने के बाजवूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण व प्रतिवादीगण ने जरिये राजीनामा लोक अदालत की भावना से वादीगण के वाद का निर्णय किऐ जाने की इस्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

जमाबन्दी सम्वत 2075–73 के अनुसार ग्राम लोरा का बास के खसरा नम्बर 360, 361, 362, 363, 876/390 कुल रकबा 11.26 हैक्टयर भूमि की खातेदारी रामूराम पुत्र गंगाराम 1/2 हिस्सा व झूंताराम पुत्र गंगाराम 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड हैं, इसी प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2069–2072 में ग्राम गुलजारनगर के खसरा नम्बर 761 रकबा 3.24 हैक्टयर भूमि झूथाराम पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज रिकार्ड हैं तथा खसरा नम्बर 767, 781 कुल रकबा 5.02 हैक्टयर भूमि रामूराम पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज रिकार्ड हैं इसी प्रकार ग्राम दौलतपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 39, 40, 42 कुल रकबा 7.24 हैक्टयर भूमि चोखाराम पुत्र रामूराम, गणपतराम पुत्र रामूराम, बजरंगलाल पुत्र झूंताराम जाति जाट सा. टोडास रकबा 4.02 हैक्टयर चोखाराम, गणपतराम गिरधारी पि. रामूराम हिस्सा 2/3 बजरंगलाल पोकरराम पि. झूंताराम 1/3 हिस्सा दर हिस्सा 0.04 हैक्टयर गिरधारीलाल पुत्र रामूराम हिस्सा 2/3 , पोकरराम पुत्र झूंताराम हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 3.18 हैक्टयर भूमि दर्ज रिकार्ड हैं। खसरा नम्बर 44 रकबा 2.57 हैक्टयर भूमि चोखाराम पुत्र रामूराम 1/3 हिस्सा, गणपतराम पुत्र रामूराम 1/3 हिस्सा बजरंगलाल पुत्र झूंताराम 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त विवादि आराजीयत वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी व हक हिस्सै में दर्ज रिकार्ड हैं तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपनी सुविधा अनुसार उक्त सम्पूर्ण भूमि का मौके पर बंटवारा कर अलग अलग काबिज काश्त हैं जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में मौके पर कब्जे काश्त अनुसार राजस्व

13/7/17

उपखण्ड अधिकारी

रिकार्ड में बंटवारा करवाना चाहते है, जिसका विवारण वादीगण ने अपने वाद के पैरा संख्या 4 में दिया हैं प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया हैं तथा वाद के पैरा संख्या 4 अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाकर बंटवारा घोषित किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही हैं प्रतिवादी स्वंय माफिक वाद अनुसार खातेदारी घोषणा करवाकर बंटवारा चाहते हैं, प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का एतराज नहीं है, जिससे वादीगण का वाद साबित होता है।

अतः वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम लोरा का बास के खसरा नम्बर 360, 361, 362, 363, 876/390 कुल रकबा 11.26 हैक्टयर सम्पूर्ण में 1/3 हिस्सा वादी पोकरराम की खातेदारी में तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 8 बजरंगलाल की खातेदारी में एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण 9 झूंताराम की खातेदारी में घोषित किया जाता है। ग्राम गुलजारनगर के खसरा नम्बर 767 रकबा 1.63 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 1 रामूराम की खातेदारी में व खसरा नम्बर 781 रकबा 3.39 हैक्टयर सम्पूर्ण प्रतिवादी भगवानाराम व धनाराम की खातेदारी में घोषित किया जाता हैं खसरा नम्बर 761 रकबा 3.24 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 7 भागूराम की खातेदारी व हक हिस्से में घोषित की जाती हैं, ग्राम गुलजारनगर के ही खसरा न्म्बर 763, 764, 765, 766 कुल रकबा 0.24 हैक्टयर भूमि सम्पूर्ण में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 7 भागूराम की खातेदारी में व 1/2 हिंस्सा प्रतिवादी 5, 6 भगवानराम व धनाराम की खातेदारी मैं घोषित किया जाता हैं। ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 44, रकबा 2.57 है॰ 39, 40, 42 कुल रकबा 7.24 हैक्टयर भूमि सम्पूर्ण में 1/4 हिस्सा वादी 1 रतनलाल की खातेदारी में , 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 2 गणपतलाल की खातेदारी में व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 3 गिरधारीराम की खातेदारी में एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 4 चौखाराम की खातेदारी व हक हिस्से में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण की मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार अलग अलग होल्डिंग कायम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हों।

यह आदेश आज दिनांक 13.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/7/17

(एस.एम.शाह)
उपखण्ड अधिकारी, नांवा

डिक्री मुगदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :– **उपखण्ड अधिकारी नांवा जिला नागौर राज.**

अज अदालत :– श्री एस.एम.शाह आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. रतनलाल पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा तह0 कुचामनसिटी
2. पोकरराम पुत्र झुंताराम जाति जाट निवासी लोरा का बास तह0नांवा।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामूराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी गुलजारनगर
2. गणपतराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा
3. गिरधारीलाल पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा
4. चोखाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी दौलतपुरा
5. भगवानराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी गुलजारनगर
6. धन्नाराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी गलजारनगर
7. भागुराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी गुलजानगर
8. बंजरगलाल पुत्र झुताराम जाति जाट निवासी लोरा कां बास
9. झुताराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी लोरा का बास
10. मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया कुचामनसिटी
11. तहसीलदार नांवा
12. तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा बावत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व बंटवारा

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील वादीगण

श्री राजेश कुमार कुमावत वकील प्रतिवादीगण

...अधिकारी

मुकदमा नम्बर 1-96/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू......... बहाजरी श्री राजेश गुर्जर वकील वादी को जाता है कि व डिग्री दी जाती है कि ग्राम लोरा का बास तह0 नांवा के खसरा नं0 360,361,362,363,876/390 कुल रकबा 11.26 हैक्टर सम्पूर्ण में 1/3 हिस्सा वादी पोकरराम की खातेदारी में तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 8 बंजरगलाल की खातेदारी में एंव 1/3 हिस्सा प्रतिवादी 9 झुताराम की खातेदारी मे घोषित किया जाता है ग्राम गुलजारनगर के खसरा नम्बर 767 रकबा 1.63 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 1 रामूराम की खातेदारी मे व खसरा नं0 781 रकबा 3.39 हैक्टर सम्पूर्ण प्रतिवादी भगवानाराम व धन्नाराम की खातेदारी में घोषित किया जाता है खसरा नं0 761 रकबा 3.24 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी 7 भागुराम की खातेदारी व हक हिस्से मे घोषित की जाती है ग्राम गुलजारनगर के ही खसरा नम्बर 763,764,765,766 कुल रकबा 0.24 हैक्टर भूमि सम्पूर्ण में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 7 भागुराम की खातेदारी में व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 5,6 भगवानराम व धनाराम की खातेदारी में घोषित किया जाता है ग्राम दौलतपुरा के खसरा नम्बर 44 रकबा 2.57 है0 खसरा नं0 39,40,42 कुल रकबा 7.24 हैक्टर भूमि सम्पूर्ण में 1/4 हिस्सा वादी 1 रतनलाल की खातेदारी में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 2 गणपतलाल की खातेदारी में व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 3 गिरधारीराम की खातेदारी में एंव 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 4 चोखाराम की खातेदारी व हक हिस्से में घोषित किया जाता है तदनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण की मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार अलग – अलग होल्डिंग कायम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारिख 14.7.17........ को जारी की गई।

दस्तख्त........................
उपखण्ड अधिकारी नांवा

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी नांवा

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकिल खर्चा गवाहन फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकिल खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		